

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुंझुनू (राज०)

पीठासीन अधिकारी :- सुमन देवी (RAS)

मुकदमा नम्बर :- 297 / 2024

GCMS NO. 2024/577

सागर पुत्र श्योनारायण जाति अहीर निवासी सुलताना अहीरान तहसील बुहाना जिला
झुंझुनू (राज०)

.....प्रार्थी / आवेदक

- ब न म -

1. भानी पत्नी जयनारायण जाति अहीर निवासी सुलताना अहीरान तहसील बुहाना जिला
झुंझुनू (राज०)
2. श्रीपाल पुत्र जयनारायण जाति अहीर निवासी सुलताना अहीरान तहसील बुहाना जिला
झुंझुनू (राज०)
3. सुरेश कुमार पुत्र जयनारायण जाति अहीर निवासी सुलताना अहीरान तहसील बुहाना
जिला झुंझुनू (राज०)
4. हनुमान पुत्र जयनारायण जाति अहीर निवासी सुलताना अहीरान तहसील बुहाना जिला
झुंझुनू (राज०)
5. पुरुषोत्तम पुत्र मानजी जाति ब्राह्मण निवासी सुलताना अहीरान तहसील बुहाना जिला
झुंझुनू (राज०)
6. लीलाधर पुत्र मानजी जाति ब्राह्मण निवासी सुलताना अहीरान तहसील बुहाना जिला
झुंझुनू (राज०)
7. गजराज सिंह पुत्र अमीलाल जाति अहीर निवासी सुलताना अहीरान तहसील बुहाना
जिला झुंझुनू (राज०)
8. दलीप सिंह पुत्र अमीलाल जाति अहीर निवासी सुलताना अहीरान तहसील बुहाना जिला
झुंझुनू (राज०)
9. महेन्द्र सिंह पुत्र अमीलाल जाति अहीर निवासी सुलताना अहीरान तहसील बुहाना जिला
झुंझुनू (राज०)
10. शेरसिंह पुत्र अमीलाल जाति अहीर निवासी सुलताना अहीरान तहसील बुहाना जिला
झुंझुनू (राज०)
11. लैण्ड होल्डर तहसीलदार बुहाना जिला झुंझुनू (राज०)

.....अप्रार्थीगण / अनावेदकगण



प्रार्थना पत्र बाबत - पत्थरगढ़ी
अन्तर्गत धारा 111/128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :-

श्री राजेश कुमार, श्री अशोक कुमार, श्री मनोज कुमार

अभिभाषक प्रार्थी



उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनू (राज०)

-: निर्णय :-

दिनांक :- 26.03.2025

उपर्युक्त उनवानी प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से दिनांक 20.12.2024 को इस आशय का पेश किया गया है कि :-

1. यह कि वाके ग्राम सुलताना अहीरान स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 510 रकबा 0.36 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 951/647 रकबा 0.14 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 957/649 रकबा 0.76 हेक्टेयर किता 3 कुल रकबा 1.26 हेक्टेयर का खातेदार आवेदक है।
2. यह कि आवेदक अपनी भूमि पर शांतिपूर्वक बिना किसी बाधा के काबिज काश्त है एवं आवेदक ने अपनी भूमि ग्राम सुलताना अहीरान स्थित खसरा नम्बर 510, 951/647, 957/649 का दिनांक 20.11.2024 को सीमाज्ञान करवा लिया है। सीमाज्ञान की रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि आवेदन पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थी द्वारा करवाये गये सीमाज्ञान के पश्चात भी अनावेदकगण सीमाज्ञान द्वारा बताये गये सीमा चिन्हों को मानने से इंकार करने लगे। प्रार्थी के साथ सीमा विवाद करने लगे एवं सीमा विवाद के समाधान के लिए प्रार्थी के द्वारा पुख्ता सीमा चिन्ह कायम करवाना चाहा तो उससे भी इंकार कर दिया इसलिए प्रार्थी के लिए आवश्यक हुआ है कि वो सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार अपनी भूमि के पुख्ता सीमा चिन्ह कायम करवाये।
3. यह कि प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 510 रकबा 0.36 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 951/647 रकबा 0.14 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 957/649 रकबा 0.76 हेक्टेयर किता 3 कुल रकबा 1.26 हेक्टेयर के उत्तर में खसरा नम्बर 45 चारागाह भूमि ग्राम जयसिंहपुरा तहसील बुहाना स्थित है जो अप्रार्थी संख्या 11 के नाम दर्ज है तथा प्रार्थी की भूमि के दक्षिण में 649 रकबा 1.12 हेक्टेयर स्थित है जो अप्रार्थी संख्या 7 लगायत 10 के नाम दर्ज है तथा आवेदक की भूमि के पूर्व में खसरा नम्बर 958/650 स्थित है जो अप्रार्थी संख्या 5 के नाम है तथा आवेदक की भूमि के पश्चिम में खसरा नम्बर 931/509 एवं खसरा नम्बर 932/511 एवं खसरा नम्बर 950/647 स्थित है जो अनावेदक संख्या 1 लगायत 4 के नाम है। इस प्रकार आवेदक की भूमि चारों तरफ अनावेदकगण की भूमि है।
4. यह कि आवेदक की भूमि ग्राम सुलताना अहीरान में जयसिंहपुरा की सीमा पर स्थित है। गांव जयसिंहपुरा की सीमा में खसरा नम्बर 45 चारागाह स्थित है जिस कारण चारागाह की तरफ आवारा पशुओं से आवेदक की फसल को हानिकारण होती है। आवेदक ने अपनी भूमि का सीमाज्ञान करवा लिया है लेकिन चारागाह की भूमि की तरफ प्रार्थी ने पुख्ता सीमा चिन्ह कायम करना चाहे तो अप्रार्थी संख्या 11 ने सीमा चिन्ह कायम नहीं करने दिये जबकि आवेदक को अपनी भूमि की सीमाज्ञान अनुसार सीमा चिन्ह करवाने का पूर्ण अधिकार है।
5. यह कि आवेदन पत्र के लिए आधार विवाद आवेदन पत्र में वर्णित भूमि के आवेदक खातेदार होने तथा आवेदक द्वारा दिनांक 20.11.2024 को अपनी भूमि का सीमाज्ञान करवाने पर भी अनावेदकगण द्वारा सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार सीमाचिन्ह कायम करने से इंकार करने से एवं सीमा विवाद पैदा करने से उत्पन्न हुआ है।
6. यह कि आवेदन पत्र में वर्णित भूमि वाके ग्राम सुलताना अहीरान में स्थित होने एवं आवेदक की खातेदारी की भूमि होने से यह आवेदन पत्र सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान्जी को प्राप्त है।
7. यह कि आवेदन पत्र 2/- रुपये कोर्ट फीस पर न्यायालय श्रीमान्जी की सेवामें पेश है।
8. यह कि आवेदन पत्र के समर्थन में आवेदक का शपथ पत्र पेश है।



उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला जन्तुनू (राज.)

9. अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि :-

- (क) वाके ग्राम सुलताना अहीरान स्थित आवेदक की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 510, खसरा नम्बर 951/647, खसरा नम्बर 957/649 का सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 20.11.2024 के अनुसार पुख्ता सीमा चिन्ह कायम कर पत्थरगढ़ी करवाये जाने का आदेश दिये जाने की कृपा करें एवं सीमा विवाद का स्थायी समाधान किये जाने का आदेश दिये जाने की कृपा करें एवं पुलिस इमदाद से आदेश की पालना करवाई जाने की कृपा करें अथवा तहसीलदार बुहाना को आदेश दिया जावे कि वह पुनः सीमाज्ञान कर पुख्ता सीमा चिन्ह कायम कर पत्थरगढ़ी करवाये एवं सीमा विवाद का स्थाई समाधान करें।
10. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तामील जारी की गई।
11. समस्त अप्रार्थीगण बावजूद सम्यक सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।
12. प्रार्थी की ओर से पत्रावली पर दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में राजस्व ग्राम सुलताना अहीरान पटवार हल्का सुलताना अहीरान की नकल जमाबन्दी संवत् 2075-2078 हाल खाता संख्या 292, 314, 239, 104, 158 पेश हुई व राजस्व ग्राम सुलताना अहीरान के खसरा नम्बर 957/649, 510, 951/647 के आनलाईन नक्शा की प्रति तथा सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 20.11.2024 द्वारा पटवारी हल्का सुलताना अहीरान की प्रमाणित प्रति पेश हुई।
13. आवाज पर अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित आये। अधिवक्ता प्रार्थी के निवेदन पर बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। प्रार्थी के द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र के जरिये मुख्य अनुतोष यह चाहा गया है कि वाके ग्राम सुलताना अहीरान स्थित आवेदक की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 510, खसरा नम्बर 951/647, खसरा नम्बर 957/649 का सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 20.11.2024 के अनुसार पुख्ता सीमा चिन्ह कायम कर पत्थरगढ़ी करवाये जाने का आदेश दिये जाने की कृपा करें।
14. पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया तथा अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2075-2078 ग्राम सुलताना अहीरान पटवार हल्का सुलताना अहीरान तहसील बुहाना के हाल खाता संख्या 292 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद वर्णित भूमि खसरा नम्बर 510 रकबा 0.38 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 951/647 रकबा 0.14 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 957/649 रकबा 0.76 हेक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.26 हेक्टेयर भूमि प्रार्थी की एकांकी खातेदारी की भूमि है। फर्द मौका सीमाज्ञान दिनांक 20.11.2024 द्वारा पटवारी हल्का सुलताना अहीरान के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि प्रार्थी ने विवादित भूमि का सीमाज्ञान भी विधिवत् रूप से करवाया है तथा सीमाज्ञान आदेश दिनांक 20.11.2024 के अनुसार ही पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है। जो विधिसम्मत है। लिहाजा

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

आदेश

15. अतः प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार (भू0अ0) बुहाना को आदेश दिया जाता है कि वह वाके ग्राम सुलताना अहीरान पटवार हल्का सुलताना अहीरान तहसील बुहाना स्थित प्रार्थी की एकांकी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 510 रकबा 0.36 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 951/647 रकबा 0.14 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 957/649 रकबा 0.76 हेक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.26 हेक्टेयर की चारों सीमाओं की पटवारी हल्का सुलताना अहीरान की सीमांकन रिपोर्ट दिनांक 20.11.2024 के अनुसार 2,000/- रुपये की फीस पर उपरोक्त भूमि के चारों तरफ लगने वाले खसरा नम्बरों के खातेदार अप्रार्थीगण की मौके पर उपस्थिति में भूमि खसरा नम्बर 510 रकबा 0.36 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 951/647 रकबा 0.14 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 957/649 रकबा 0.76 हेक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.26 हेक्टेयर की चारों सीमाओं का पुनः सीमांकन करवाया जाकर पुख्ता पिल्लर पत्थरगढ़ी करवायें तथा पालना रिपोर्ट यथाशीघ्र भिजवावें। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार (भू0अ0) बुहाना के नाम तहरीर जारी हो।
16. निर्णय आज दिनांक 26.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(Signature)
 उपखण्ड अधिकारी बुहाना
 उपखण्ड अधिकारी बुहाना
 जिला झुंझुनू (राज.)